भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

## F. No. SEEPZM-EOPTOGENF/21/2025-EO/DS094 Date: 11-04-2025

## Circular No. 06 Dated # .04.2025

दिनांक 07.10.2024 को प्राधिकरण की 70वीं बैठक और 04.02.2025 को प्राधिकरण की 71वीं बैठक की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिसमें समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

- 1. नियम 74ए के प्रावधान के अंतर्गत आने वाले उद्यमी पर लागू किराया तथा अन्य माध्यमों जैसे बैंक/डीआस्टी/लिक्विडेटर आदि द्वारा नीलामी द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन/हस्तांतरण-
- क) पुराने सरकारी भवनों का किराया अगले आदेश तक 6,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होगा।
- ख) और स्व-वित्तपोषित भवनों के लिए किराया हस्तांतरण की तिथि पर सीप्ज-एसईजेड में उच्चतम किराये का 10% होगा।
- ग) इसके अलावा परिपत्र संख्या 13 दिनांक 10.01.2024 की अन्य सभी शर्ते और नियम समान रहेंगे।

2.रिक्त इकाइयों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएंगा। Attention is invited to 70<sup>th</sup> Authority meeting dt. 7.10.2024 and 71st Authority Meeting dated 04.02.2025. Wherein the committee decided as follows:

- 1. The rent applicable to incoming entrepreneur under the provision of Rule 74A and/or change/transfer of ownership by other means viz auction by Banks/ DRT/ Liquidator, etc-
- a. The rate of rent in old government buildings will be Rs. 6,500 per square meter per annum until further orders.
- b. And for self-financed buildings, the rent will be 10% of the highest rent in SEEPZ- SEZ on the date of transfer.
- c. Further All other terms and conditions of the Circular no. 13 dated 10.01.2024 would remain the same.
  - 2 . Vacant units are allotted through e-auction.

- 3. इसे सीप्ज-एसईजेड प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
- 3. This issues with the approval of Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.

Signed by Mital Sudhir Hiremath DateHत्तल4्स्या2हिरेमकः 23

संयुक्त विकास आयुक्त सीप्ज-सेज प्राधिकरण

## प्रतिलिपि:

- 1. सभी यूनिटधारक, सीप्ज-एसईजेड 2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
- 3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
- 4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्ज-एसईजेड
- 5. IA-I अनुभाग, सीप्ज-एसईजेड 6. सम्पदा वित्त अनुभाग ,सीप्ज-एसईजेड 7. ईआरपी/ERP